

63

रा.निगरानी प्र.क. /
प्रस्तुती दिनांक: 4/12/2017

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व पर्वद ग्वालियर
स्थान इन्दौर, इन्होंके समक्ष में

निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत,
PBR/निगरानी/खरगोन/भू.सं. 2018/0266

नारायण पिता गोपालजी सिरवी आयु 50 वर्ष
व्यवसाय कृषि निवासी सीबार तहसील गोगावां
जिला खरगोन

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

--- निगरानीकर्ता
कार्यालय इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ए.के.ए. 2015
--- प्रत्यक्षी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 04-12-17
को प्रस्तुत।

विषय:- कृषि से आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तन बाबद ।

962
04-12-2017

इसमें निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार है:-

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

यहकि निगरानीकर्ता यह माननीय अधिनस्थ श्रीमान अपर
आयुक्त महोदय राजस्व न्यायालय इन्दौर द्वारा द्वितीय अपील क.497/अपील/2016-17
में दिनांक 14/8/17 को पारित आदेश से असन्तुष्ट एवं परिवेदित होकर यह निगरानी
प्रस्तुत की है।

यहकि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आदेश 14/8/17
का है। प्रमाणित प्रतिलिपी हेतु दिनांक 14/9/17 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया
था और प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 10/11/17 को प्राप्त हुई है। निगरानी आवेदन यह
आदेश दिनांक को छोड़कर 60 दिन की अवधि अर्थात दिनांक 13/10/17 तक प्रस्तुत
हो जानी थी। यह निगरानी दिनांक 4/12/17 को प्रस्तुत की जा रही है, इस प्रकार
कुल 112 दिन में प्रस्तुत होना प्रतीत होती है। इसमें से दिनांक 14/9/17 से
10/11/17 तक के दिन कुल 58 दिन कम करते यह निगरानी 60 दिवस में प्रस्तुत
की जा रही है इसलिये यह निगरानी अवधि में प्रस्तुत है।

यहकि यह निगरानी योग्य न्यायशुल्क पत्र रूपये 30/- पर
प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि निगरानीकर्ता के नाम से जिला खरगोन तहसील गोगावां
के पटवारी हल्का जामन्या के ग्राम सीबार में खसरा क.28/8 रकबा 0.020 हेक्टेअर की
भूमि राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट होने के आधार पर अपनी भूमि का आवासीय प्रयोजन में
व्यपवर्तन करवाने हेतु आवेदन पत्र अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी महोदय खरगोन

19-12-17
अप


अप

PBR/निगरानी/ (खरगोले) अक्षा/18/ 0266 -

17-10-18
MOR pram

~~आवेदन~~ ^{५५}
आवेदन आयोगी केवल खोले उष्व
उल्लेख द्वारा व लमा गदा कि वह
प्रकरण कागे चलाना गरी चाहेत
है। इस कारण प्रकरण मोट प्रेरक
के समाप्ता किया जाता है।


रीडर


आवेदन

Noted 17/10/18

Hemant Khole
MOR pram